

“प्ररूप 6

[नियम 13(1) और 26 देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन			
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र। महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :			
1. आवेदक का ब्यौरा	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
1 जनवरी.....को आयु	वर्ष :	मास :	लिंग (पुरुष/स्त्री) :
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात है :	दिन :	मास :	वर्ष :
जन्म का स्थान :	ग्राम/नगर :		
	जिला :	राज्य :	
*पिता माता का नाम पति	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
2.	मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :		
मकान / गृह सं० :			
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/राडक :			
नगर/ग्राम :			
डाकघर :	पिनकोड :		
नहसील/तालुक/मंडल/धाना :			
जिला :			

1 ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में।

#कृपया वर्ष लिखें अर्थात् 2003, 2004, आदि।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

कृ० प० उ०

आवेदन की रसीद

•• श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो**.....का/की निवासी है, से प्ररूप

6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के
हस्ताक्षर

(पता).....

•• आवेदक द्वारा भरा जाएगा।

3. निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के कुटुंब के सदस्य(यों) के ब्यौरे :

नाम	आवेदक के साथ नातेदारी	निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की भाग सं०	उस भाग में क्रम सं०	निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र सं० (यदि जारी किया गया है)
1.				
2.				

4. घोषणा :

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ, (ii) मैं -----से (तारीख, मास, वर्ष) ऊपर भाग-2 में दिए गए पते वाले स्थान में मामूली तौर से निवासी हूँ ; (iii) मैं किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ; (iv) *इस या किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है

या

*मेरा नाम.....राज्य के.....निर्वाचन क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए।
पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान)

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं० (यदि जारी किया गया है)
.....; जारी करने की तारीख.....;

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान :

टिप्पणी - कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफीसर द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो.....का/की निवासी है, के प्ररूप 6 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/* नामंजूर कर दिया गया है।

*स्वीकार करने [नियम 18 *1/20 *1/26(4)¹ के अधीन या उसके अनुसरण में] या *नामंजूर करने [नियम 17 *1/20 *1/26 (4)² के अधीन या उसके अनुसरण में] के लिए विस्तृत कारण :

स्थान :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफीसर
का हस्ताक्षर

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफीसर की मुहर)

तारीख :

1. निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाए रखने के दौरान।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।